(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

**भारत सरकार**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

**अधिसूचना सं0 15/2015–2020**

**नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016**

**विषयः–** आलू के निर्यात पर न्यनूतम निर्यात मूल्य (एमईपी) ।

सा0 आ0 (अ0): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 ( 1992की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, समय–समय पर यथासंशोधित, निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय 7 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

"अधिसूचना सं0 112 (आर ई–2013)/2009–2014 दिनांक 20.02.2015 के तहत यथासंशोधित आलू के निर्यात से संबंधित अधिसूचना सं0 85(आर ई–2013)/2009–2014, दिनांक 26 जून, 2014 के तहत अन्तर्निविष्ट क्रम सं0 50क संबंधी तालिका को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार बदला जाता है:"

| क्रम सं0 | प्रशुल्क मद एचएस कोड | इकाई | मद विवरण | निर्यात नीति | प्रतिबंध का स्वरुप |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ए | 7019000 | किग्रा. | आलू, ताजा अथवा शीत गृह में रखा हुआ | मुक्त | 360 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन निर्यात अनुमत किया गया है। |

**2. इस अधिसूचना का प्रभावः**

360 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन आलू का निर्यात अनुमत किया जाता है।

अनूप वधावन

**(अनूप वधावन)**

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ईमेलः **dgft@nic.in**

(फा0 सं0 01/91/180/82/एएम–15/निर्यात सैल से जारी)